न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–194/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00194)

1. मोहन लाल पुत्र उगमा
2. सोहन लाल पुत्र उगमा
3. रामप्रसाद पुत्र उगमा
4. रामस्वरूप पुत्र उगमा
   जाति कुमावत निवासी खेडी तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. लादू पुत्र उगमा जाति कुमावत निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. शेर खां पुत्र भूरे खां जाति कायमखानी निवासी कायमपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राजस्थान।
3. हीरा पुत्र हरदेव
4. श्रीमती लाडू पत्नी मूला
5. उंकार पुत्र मूला
6. महोदव पुत्र मूला
7. कैलाश पुत्र मूला
8. बालू पुत्र मांगु
9. बालू पुत्र जगरूप
10. लालु पुत्र लादू (फौत)
    10/1 रामलाल पुत्र लादू
    10/2 घीसी पुत्र लादू
11. श्रीमती हगामी पत्नी जुवारा
12. काना पुत्र जुवारा
13. भैंरू पुत्र जगन्नाथ
    सभी जाति कुमावत निवासीगण खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर।
14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री समीर अहमद खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14.
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 13 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—25.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा वाद संख्या 60 / 2004 (20 / 2010) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लादू पुत्र उगमा ने एक वाद ग्राम खेडी देवलिया कलां तहसील भिनाय जिला अजमेर के खसरा नम्बर 2421 व 2422 की कुल भूमि 1.57 हैक्टर के बाबत अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 14 के विरूद्ध धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि आराजी मुतनाजा पूर्व में हरीशचंद सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी देवलिया कलां से सिलिंग से अवाप्त की जाकर सरकार के कब्जे में ली गई व दिनांक 27 / 05 / 76 को आवंटन कमेटी ने वादी को उक्त खसरा नम्बर 3241 रकबा 10 बीघा आवंटन हुई यह कि उक्त खसरा के सहखातेदार मूला व जवारा का स्वर्गवास होने से प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को पक्षकार बनाया गया है उक्त आराजी आवंटन होने के पश्चात वादी ने प्रीमियम राशि राजकोष में जमा करवा दी है व वादी को नाप चोप कर कब्जा दिया व पट्टा जारी किया गया एवं आवंटन से लगातार काबिज चला आ रहा है किंतु प्रतिवादीगण ने चुपके से राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 15 / 2 / 2004 को धमकी दी है कि भूमि उनके दर्ज है। अतः हम भूमि पर काश्त करेंगे और वादी को खसरा नम्बर 2421 व 2422 की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे व प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त वाद का नोटिस सभी प्रतिवादीगण को तामिल नहीं हुआ व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 हीरा का जवाब दावा दिनांक 24 / 11 / 2006 को प्रस्तुत किया गया व उन्होंने दावे के तथ्यों से इंकार किया व कथन किया कि आराजी मुतनाजा कभी सिलिंग में अवाप्त नहीं की गई। जवाब दावे के आधार पर वाद में दादरसी सहित 6 तनकीयात कायम की गई व वादी साक्ष्य हेतु केस को नियत कर दिया गया जबकि वाद में सभी पक्षकारान को नोटिस तामिल नहीं हुए थे। तत्पश्चात आगामी कार्यवाही नियत की गई व पत्रावली उपखण्ड अधिकारी केकड़ी से उपखण्ड अधिकारी भिनाय का पद सृजित होने के कारण सभी केसों को भिनाय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया इस पर पत्रावली उपखण्ड अधिकारी केकड़ी से स्थानांतरित होकर दिनांक 19.7.2010 को उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष नियत की गई दिनांक 25.8.2010 को पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण अभिभाषकों को नोटिस देने का आदेश हुआ। तत्पश्चात वकीलों द्वारा कार्य स्थगित होने के कारण पत्रावली दिनांक 18.7.2012 को वादी वकील की एकतरफा बहस सुनकर वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27.7.2012 नियत की गई व बहस सुनने के करीब 2 माह 10 दिन पश्चात विपक्षी वादी का वाद डिक्री कर विपक्षी को आराजी खसरा नम्बर 3421 व 3422 का खातेदार घोषित कर दिया व इस निर्णय की प्रतिवादीगण को कोई जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि प्रतिवादीगण को नोटिस तामिल नहीं हुए व प्रतिवादीगण को हाल ही मे जब आराजी मुतनाजा लादू ने शेरखांको विक्रय कर दी व शेरखां ने जब आराजी मुतनाजा पर कब्जा करने की नाजायज कोशिश दिनांक 12.7.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

2017 को की व मौके पर एलानिया कहा की भूमि मेरे नाम हो गई है व मैं तुम्हे बेदखल करके कब्जा करूंगा जिस पर अपीलांट उसी रोज उपखण्ड अधिकारी भिनाय के न्यायालय में गए तो ज्ञात हुआ की अपीलांट के भाई लादू ने गलत तथ्यों के आधार पर एकतरफा में दिनांक 28.09.2012 को डिक्री प्राप्त कर ली है तब अपीलांट ने उसी रोज नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया व दिनांक 3.7.2017 को नकल प्राप्त होने पर अभिभाषकों से केस के बारे में राय ली व उन्होंने इसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में होना बताया तब प्रार्थीगण अजमेर आए व दिनांक 21.07.2017 को अभिभाषक नियुक्त कर अपीलांट ने यह अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने हेतु तैयार की गई है। अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा वाद संख्या 60/2004 (20/2010) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनरथ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 3 से 13 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनरथ न्यायालय ने प्रार्थीगण को कोई नोटिस दिए बिना एकतरफा में दिनांक 27.7.2012 विपक्षी को दावा डिक्री कर दिया। अतः दिनांक 27.7.2012 के निर्णय व डिक्री की प्रार्थीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो सकी जबकि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के न्यायालय ने पत्रावली दिनांक 19.7.2010 को उपखण्ड अधिकारी भिनाय के न्यायालय में स्थानांतरित की गई जिसमें पक्षकारान को नोटिस देने के स्पष्ट आदेश हैं किंतु नोटिस तामिल करवाए बिना ही एकतरफा में डिक्री पारित की गई व विपक्षी ने डिक्री की आड में आराजी मुतनाजा का विक्रय शेरखां को कर दिया व शेरखां द्वारा दिनांक 12.7.2017 को प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की नाजायज कोशिश की व मौके पर कहा कि यह भूमि मेरे नाम हो गई है तुम्हें बेदखल करके कब्जा करूंगा जिससे प्रार्थीगण उसी रोज उपखण्ड अधिकारी भिनाय के न्यायालय में गए तो प्रार्थीगण को उनके भाई लादू द्वारा असत्य कथनों के आधार पर एकतरफा में दिनांक 28.9.2012 को डिक्री प्राप्त करली है तब प्रार्थीगण ने उसी रोज नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया व दिनांक 3.7.2017 को नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक से केस के बारे में राय ली तो उन्होंने इसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में होना बताया तब प्रार्थीगण अजमेर आए व दिनांक 21.07.2017 को अभिभाषक नियुक्त कर अपीलांट ने यह अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 3421 व 3422 की भूमि का कोई आवंटन विपक्षी वादी लादू को नहीं किया गया विपक्षी वादी को आवंटन खसरा नम्बर 3241 में से किया गया है जिसकी पुष्टि प्रदर्श–2 जमाबंदी से होती है व 3241 से आराजी मुतनाजा 3422 नहीं बने हैं बल्कि 3421 व 3422 के पूर्व खसरा नम्बर 3697 थे जो मिन नम्बर 3697/2 कायम किए गए इसके बाबत भू प्रबंध विभाग का खसरा मिलान प्रस्तुत है। 3421 व 3422 की भूमि जमाबंदी में राधेश्याम, विष्णुदत्त, रामविलास, ब्राह्मण के नाम सहहिस्सेदारी में दर्ज है जिन्होंने उक्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड बेचान द्वारा लादूराम, मोहनलाल, सोहनलाल, रामप्रसाद, रामस्वरूप पुत्रान उगमा को किया है जिसके बाबत जमाबंदी पर नोट लगा हुआ है उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नामांतरकरण संख्या 582 दिनांक 20.7.2002 से अपीलांट के नाम दर्ज की गई है किंतु अपीलांट के भाई लादू ने अपीलांट को मुगालता देकर उक्त भूमि को एकतरफा डिक्री द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को भी सही प्रकार से नहीं पढ़ा है। विपक्षी ने कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जो पूर्व खसरा 3241 से हाल खसरा नम्बर 3421 व 3422 बना हो। खसरा नम्बर 2341 की भूमि का अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3421 व 3422 से कोई संबंध नहीं है व कब्जे की बात अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज की है वह कतई फर्जी रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अपीलांट को कोई नोटिस मौका कमीश्नर हेतु नहीं दिया गया है, अतः मौके की रिपोर्ट बनावटी है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर पर खसरा नम्बर 3421 व 3422 को लादू को आवंटन होना मानने में भूल की है, अतः तनकी नम्बर 1 को निर्णय गलत तौर पर वादी के पक्ष में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 का निर्णय भी वादी के पक्ष में किया है जबकि आराजी मुतनाजा को प्रतिवादीगण ने खातेदारों से बजरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद किया है व विक्रय के आधार पर नामांतरकरण संख्या 582 के द्वारा उक्त आराजी मुतनाजा अपीलांट के नाम दर्ज की गई है जिससे बाबत जमाबंदी में इसका उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी से उपखण्ड अधिकारी भिनाय के न्यायालय में स्थानान्तरित होने पर भी अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया व जल्दबाजी में विपक्षी लादू का दावा एकतरफा में डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादीगण की साक्ष्य को बंद करने का भी गैर कानूनी आदेश पारित कर विपक्षी का वाद डिक्री करने में प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत निर्णय पारित कर दिया। विपक्षी लादू द्वारा शेर खां को किया गया बेचान अपीलांट के विरूद्ध बातिल व बेअसर है क्योंकि आराजी मुतनाजा लादू को आवंटित भूमि नहीं है उसने गैर कानूनी तौर पर अपीलांट की भूमि को आवंटित भूमि बताकर फर्जी डिक्री प्राप्त की है अतः शेरखां को कोई अधिकार इस फर्जी कॉपी से प्राप्त नहीं होते है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2012 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि हरिशचंद्र पुत्र देबीसिंह जाति राजपुत की ग्राम देवलियांकला स्थित आराजी खसरा नम्बर 3241 को सिलिंग प्रकरण के तहत अवाप्त कर इसके कुल रकबे में से 10 बीघा भूमि वादी/रेस्पोडेंट के दिनांक 27.5.1976 को आवंटित की गई थी जिसके वर्किंग नम्बर 3697/2 मि. रहे तथा वर्तमान नम्बर 3421 रकबा 1.10 व 3422 रकबा 0.47 है। जिसकी प्रीमियम राशि जमा कराने पर वादी/रेस्पोडेंट को आवंटित की गई है। आवंटित भूमि का कब्जा संभला दिया गया था तब से वादी/रेस्पोडेंट ही उस आवंटित भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है तथा उपज लेता आ रहा है। किंतु वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व वादीगण संख्या 2 से 5 के अग्रज स्व0 मूला पुत्र मोती तथा वादी संख्या 6 से 8 ने तथा वादी संख्या 9 व 10 के अग्रज जुवारा पुत्र रूधा तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वादी संख्या 11 से 16 के विक्रेतागण ने चुपके से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम लगवा ली। जिस बाबत खातेदार वादी/रेस्पोडेंट को नहीं सुना गया और ना ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इनके पक्ष में कोई आदेश पारित किए गए है। इसी का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण ने वादी/रेस्पोडेंट को दिनांक 15.2.2004 को विवादित आराजीयात पर कब्जा करने तथा वादी/रेस्पोडेंट को बेदखल करने की धमकी दी है। वाद बहक वादी/रेस्पोडेंट विरूद्ध वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी में वादी/रेस्पोडेंट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी/रेस्पोडेंट का नाम अमल दरामद कराते हुए वादीगण के नाम विलोपित कराने के आदेश पारित किए जाए। वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाए व वादी/रेस्पोडेंट की विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलअंदाजी आदि नहीं करे व ना किसी से करावे के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को स्थानान्तरित किया गया तब अपीलांट को विधि सम्मत नोटिस जारी किये गये थे। जब अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष उनका प्रकरण चल रहा था तब उनके अभिभाषक की जानकारी में था कि प्रकरण उपखण्ड अधिकार, भिनाय को स्थानान्तरित किया गया है फिर भी यह अपीलांट का यह कहना कि प्रकरण के स्थानान्तरण की जानकारी उनको नहीं थी इसलिए साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया कहना गलत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका कमिश्नर ने भी मौके पर वादी का ही कब्ज काश्त प्रतिवादी की उपस्थिति में होना पाया है। दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी वादी को प्रदर्श–2 के अनुसार सिवायचक भूमि में से आवंटन कमेटी द्वारा आवंटिक की गई थी जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील या अन्य कार्यवाही किये जाने बाबत् उल्लेख प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में नहीं किया है।अपीलांट का विवादित आराजी से किसी प्रकार हक अधिकार नहीं रहे है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लादू पुत्र उगमा वादग्रस्त आराजीयात बाबात राजस्व वाद वास्ते खातेदारी उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,केकड़ी के समक्ष वर्तमान अपीलांट एंव रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा दिनांक 29.4.2004 को उक्त राजस्व वाद का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए तत्पश्चात उक्त पत्रावली बाबत प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष उपस्थित हुए तत्पश्चात उक्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष विचाराधीन रही तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.3. 2010 की पालना में उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को

सदस्य अपील प्राधिकारी
अजमेर

सुनवाई हेतु हस्तांतरित हुई जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सूचित किया जाना था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को किसी भी प्रकार से कोई नोटिस जारी नहीं किए गए तत्पश्चात उक्त पत्रावली बाबत दिनांक 28.8.2010 को पत्रावली से संबंधित अधिवक्तागण उपस्थित नहीं होने पर पक्षकारान अधिवक्ता गण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए गए जिस बाबत संबंधित अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा उक्त अनुक्रम में दिनांक 24.2.2011 को नोटिस जारी किए गए परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उक्त पक्षकारगण अथवा उनके अभिभाषक को सम्यक नोटिस तामिली किसी भी प्रकार से सूचना प्राप्त नहीं हुई जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.1.2011, 18.2.2011 से स्पष्ट है इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी से उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायाल उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को होने पर ना तो पक्षकारगण को और ना ही उनके अभिभाषक को सम्यक रूप से नोटिस तामिल करवाए गए है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवरार प्रदान किए उक्त आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य से निरस्त की जाती है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा वाद संख्या 60/2004 (20/2010) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उक्त वाद से संबंधित सभी पक्षकारों को जवाब/साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उक्त प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर